



2026:AHC: 169807-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या - 16532/2026

सीमा उर्फ शजमा खातून

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: आलोक कुमार सिंह, रमेश चंद्र पाठक
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: शासकीय अधिवक्ता, मोहम्मद शम्स खान, मोहम्मद ज़फ़र याब खान

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति अजय भनोट

माननीय न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री रमेश चंद्र पाठक प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा सह-अभियुक्तों को दी गई राहत में समानता का दावा करती है। याचिकाकर्ता अंतरिम संरक्षण की भी हकदार है।

प्रथम सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता श्री मो. ज़फ़र याब खान का तर्क है कि याचिकाकर्ता का प्रकरण पूर्वोक्त सह-अभियुक्तों से पूरी तरह से भिन्न है, क्योंकि वे दूर के रिश्तेदार थे। वर्तमान वाद में याचिकाकर्ता ननद है, जो विवाहित जोड़े (मृतका सहित) के साथ रह रही थी।

विद्वान ए.जी.ए. का तर्क है कि, संक्षेप में, एफ.आई.आर. में स्थापित अभियोजन का प्रकरण यह है कि मृतका को दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया गया था। उसकी अस्वाभाविक मृत्यु हुई है। याचिकाकर्ताओं को एफ.आई.आर. में विशेष रूप से नामजद किया गया है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विद्वान ए.जी.ए. निर्देशों के आधार पर आगे प्रस्तुत करते हैं कि एफ.आई.आर. के साथ-साथ अभिलेख में मौजूद सामग्री प्रथम दृष्टया अपराधों के किए जाने का खुलासा करती है और इसकी गहन विवेचना की आवश्यकता है। याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध अपराध के तत्व प्रकट होते हैं। विवेचना जारी है। इस स्तर पर याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से विवेचना में बाधा उत्पन्न होगी, साक्ष्य की हानि या लोप होगा और यह **हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 सप्प (1) एससीसी 335 और नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य, (2021) 19 एससीसी 401** में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के विपरीत होगा। **भजन लाल** (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

"102. अध्याय XIV के अंतर्गत संहिता के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत असाधारण शक्ति या संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में, जिन्हें हमने ऊपर उद्धृत और प्रस्तुत किया है, हमने दृष्टांत के रूप में वादों की निम्नलिखित श्रेणियां दी हैं, जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है, यद्यपि कोई सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से दिशा-निर्देशित एवं अनम्य दिशानिर्देश या कठोर सूत्र निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के वादों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया जाए और पूरी तरह से स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध गठित नहीं करते हैं या अभियुक्त के विरुद्ध मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट और एफ.आई.आर. के साथ संलग्न अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में आरोप, संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, जो संहिता की धारा 155(2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना संहिता की धारा 156(1) के अंतर्गत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना को न्यायोचित ठहराए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(3) जहां एफ.आई.आर. या परिवाद में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के किए जाने का खुलासा नहीं करते हैं और अभियुक्त के विरुद्ध प्रकरण नहीं बनाते हैं।

(4) जहां, एफ.आई.आर. में आरोप संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं बल्कि केवल असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां संहिता की धारा 155(2) के अंतर्गत परिकल्पित मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना पुलिस अधिकारी द्वारा किसी विवेचना की अनुमति नहीं है।

(5) जहां एफ.आई.आर. या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और अंतर्निहित रूप से असंभाव्य हैं जिसके आधार पर कोई भी विवेकशील व्यक्ति कभी भी उचित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां कार्यवाहियों के संस्थित होने और जारी रहने के लिए संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके अंतर्गत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की गई है) के किसी भी प्रावधान में एक स्पष्ट विधिक रोक अंतर्निहित है और/या जहां व्यथित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करने वाला संहिता या संबंधित अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है।

(7) जहां एक आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावना से प्रेरित है और/या जहां कार्यवाही अभियुक्त से बदला लेने के छिपे हुए उद्देश्य से और निजी तथा व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के विचार से दुर्भावनापूर्ण तरीके से संस्थित की गई है।

103. हम इस आशय की चेतावनी भी देते हैं कि आपराधिक कार्यवाही को अपास्त करने की शक्ति का प्रयोग बहुत संयम से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और वह भी दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में; कि न्यायालय एफ.आई.आर. या परिवाद में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या प्रामाणिकता या अन्यथा के बारे में पूछताछ शुरू करने में



न्यायोचित नहीं होगा और यह कि असाधारण या अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी सनक या इच्छा के अनुसार कार्य करने की मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करती हैं।"

नीहारिका (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने विधि को निम्नानुसार प्रतिपादित किया:

"33.16. उपरोक्त मापदंड लागू होंगे और/या द.प्र.सं. की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत शक्तियों के प्रयोग में रद्द करने वाली याचिका में अंतरिम आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त पहलुओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। हालांकि, रद्द करने वाली याचिका के लंबित रहने के दौरान विवेचना पर रोक का अंतरिम आदेश सावधानी के साथ पारित किया जा सकता है। ऐसा अंतरिम आदेश नियमित, आकस्मिक और/या यांत्रिक रूप से पारित किए जाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। सामान्यतः, जब विवेचना प्रगति पर हो और तथ्य अस्पष्ट हों और संपूर्ण साक्ष्य/सामग्री उच्च न्यायालय के समक्ष न हो, तो उच्च न्यायालय को स्वयं को गिरफ्तार न करने या "कोई दंडात्मक कदम न उठाने" का अंतरिम आदेश पारित करने से रोकना चाहिए और अभियुक्त को सक्षम न्यायालय के समक्ष द.प्र.सं. की धारा 438 के अंतर्गत अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने हेतु निर्देशित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय द.प्र.सं. की धारा 482 और/या भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रद्द करने वाली याचिका को खारिज/निस्तारित करते समय, विवेचना के दौरान या विवेचना पूरी होने तक और/या द.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट/आरोप-पत्र दाखिल होने तक, गिरफ्तार न करने और/या "कोई दंडात्मक कदम नहीं" का आदेश पारित नहीं करेगा और ऐसा करने में न्यायोचित नहीं है।"

भजन लाल (उपरोक्त) और **नीहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर** (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय इस मामले के तथ्यों पर पूरी तरह से लागू होते हैं और हमें याचिकाकर्ताओं को कोई अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से रोकते हैं।

एफ.आई.आर. को रद्द करने के लिए मांगा गया अनुतोष भी तदनुसार उन्हीं कारणों से अस्वीकार किया जाता है।

रिट याचिका खारिज की जाती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति देवेन्द्र सिंह-प्रथम) (न्यायमूर्ति अजय भनोट)

12 अगस्त, 2026

धनंजय

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”